



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 744]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 1997/पौष 8, 1919

No. 744]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER, 29 1997/PAUSA 8, 1919

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1997

का. आ. 922(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्न तालिका के कालम 2 तथा 3 में विनिर्दिष्ट राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित कर दिया गया है, को उक्त तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार उसकी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समझा जाएगा।

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में क्र.सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
68	59	अहमदाबाद बाइपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर चौराहे से शुरू होने वाला राजमार्ग जो गुजरात में बालासिनोर-सेवालिया गोधरा-लिमखेडा-दोहद तथा झाबुआ-सरदारपुर-धार जंक्शन को घाट बिलोट के समीप इंदौर-रतलाम सड़क के साथ जोड़ते हुए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 पर इंदौर में समाप्त होता है।
69	60	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 पर बालासोर से शुरू होने वाला राजमार्ग जो उड़ीसा में रूपास-जलेश्वर-दान्तन-बेलडा-कख्खा नारायणगढ़ को जोड़ता हुआ पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 पर खड़गपुर में समाप्त होता है।

[सं. आर. डब्ल्यू/एनएच-14014/6/95-पोएल]

ए.डी. नारायण, महानिदेशक

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Road Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 1997

S.O. 922(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section (2) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares the highway specified in the columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highway, now declared to be a national highway, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the serial number, the national highway number and the description thereof as indicated in the said Table.

TABLE

Sl.No. in the schedule to the National Highways Act, 1956	National Highway No.	Description of National Highway
1	2	3
68	59	The highway starting from its junction on National Highway No. 8 on Ahmedabad bypass connecting Balasionor-Sevaliya Godhra-Limkheda-Dohad in Gujarat-Jhabua-Sardarpura-Dhar-Junction with Indore-Ratlam road near Ghat Bilod to terminate at Indore on National Highway No. 3 in Madhya Pradesh.
69	60	The highway starting from Balasore on National Highway No. 5 connecting Rupas-Jaleswar in Orissa-Dantan-Belda-Kasba Narayangarh and terminating at Kharagpur on National Highway No. 6 in West Bengal.

[No. RW/NH-14014/6/95-PL]

A.D. NARAIN, Director General.